यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, प्र.म.ग्रा.स.यो., ज्योलीकोट नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तरखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, प्र.म.ग्रा.स.यो., ज्योलीकोट नैनीताल** के माह 10/2015 से 11/2016 तक के लेखा अभिलोखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार तथा देवेन्द्र दिवाकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री दयाशंकर वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 08.12.2016 से 21.12.2016 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखपारीक्षा श्री प्रदीप कुमार मोर्य एवं श्री मनीष श्रीवास्तव, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 08/10/2015 से 17/10/2015 तक श्री रणवीर सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित किया गया था जिसमें माह 08/2011 से 09/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2015 से 11/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-

   अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, प्र.म.ग्रा.स.यो., ज्योलीकोट नैनीताल का मुख्य कार्यकलाप ग्रामीण सड़कों से बसावटों को संयोजित करना आदि संबंधी क्रियाकलाप किए जाते हैं।

   सिंचाई खण्ड, प्र.म.ग्रा.स.यो., ज्योलीकोट नैनीताल के अंतर्गत तीन विकास खण्ड सम्मिलित है।

   (ii) (अ) अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, प्र.म.ग्रा.स.यो., ज्योलीकोट नैनीताल विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय		
2013-14			126.53	96.36	6.59	5.90		
2014-15			120.90	115.54	5.85	5.78		
2015-16			144.37	136.63	365.05	365.05		
2016-17 11/2016 तक			162.13	141.19	399.12	219.12		

वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 का बजट का विवरण विगत प्रतिवेदन संख्या 166/2015-16 से लिया गया है।

(ब) केन्द्र पुरोनिर्धानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**अधिक्य (+)/ बचत (-)**
2015-16	प्र.म.ग्रा.स.यो.		365.05	365.05	शून्य
2016-17 (up to Nov 2016)	प्र.म.ग्रा.स.यो.		399.12	219.12	180.00

(iii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्त्रोत निर्माण कार्य हेतु बजट का आवंटन विभिन्न विभागों द्वारा स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत है।

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, प्र.म.ग्रा.स.यो., ज्योलीकोट नैनीताल (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखपरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, प्र.म.ग्रा.स.यो., ज्योलीकोट नैनीताल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 01/2016 एवं 06/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राज्य सरकार से प्राप्त बजट का विस्तृत विशलेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षाक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग -II (अ)

प्रस्तर 1:- अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति का अप्राप्त रहना ।

पी०एम०जी० एस० वाई० के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किए जाने के परिणाम स्वरूप देविपुरा से सौड मोटर मार्ग के निर्माण पर रूपये 418.37 लाख व्यय के बाद भी मार्ग निर्माण के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति का अप्राप्त रहना तथा एवं अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार LD की कटौती न किया जाना।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज -X के अंतर्गत स्टेज II के कार्य हेतु जनपद नैनीताल मे पैकेज संख्या यू टी - 07-02 के अंतर्गत देविपुरा से सौड़ मोटर मार्ग के निर्मार्ण कार्य एवं पाँच वर्ष के अनुरक्षण एवं रख रखाव कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग , के पत्र संख्या - पी० 17029/2/2012-आर० सी०, दिनांक 08.02.2013 के क्रम मे उत्तराखंड शासन के वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, देहारादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2306/पी-3-14/यू० आर० आर० डी० ए० /13, दिनांक 12.03.2013 द्वारा 15.00 कि० मी० लम्बाई मे निर्माण कार्य हेतु रूपये 608.54 लाख (मार्ग निर्माण की लागत रूपये 542.57 लाख एवं पाँच वर्ष के अनुरक्षण एवं रख रखाव कार्य हेतु लागत रूपये 65.97 लाख) की वित्तीय एवं प्रशासकीय प्रदान की गयी थी। मुख्य अभियंता,स्तर-2 पी०एम०जी०एस०वाई०,उत्तराखण्ड, देहारादून द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आगणन पर इकाई की संस्तुति के आधार पर उतनी ही राशि की प्रविधिकी स्वीकृति प्रदान किया गया था।

प्रशनगत कार्य के निष्पादन हेतु निविदा के आधार पर न्यूनतम निविदा दाता फ़र्म मेसर्स नैनी वैली कन्स्ट्रकशन भारतोजखान, अल्मोड़ा की वित्तीय निविदा रूपये 547.61 लाख की स्वीकृत किया गया और दिनांक 28.06.2013 को बॉन्ड संख्या 14/ SE/PMGSY/13 गठित किया गया था। अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 28.06.2013 तथा कार्य पूर्ण होने की तिथि 27.09.2014 निर्धारित थी ।

कार्यालय अधिशासी आभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सिंचाई खण्ड ज्योलीकोट, नैनीताल के लेखा अभिलेखो की नमूना जांच (दिसम्बर 2016) में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रश्नगत कार्य समय से प्रारम्भ तो हुआ था परन्तु कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी थी । ठेकेदार द्वारा यथा समय और निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा था, कार्य प्रभारी सहायक अभियन्ता द्वारा कार्य को समय से और निर्धारित मानको के अनुरूप करने के लिए कई बार पत्राचार किया गया इसके बाद भी ठेकेदार द्वारा कार्य को समय से पूर्ण नहीं किया गया ।

ठेकेदार को अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप कार्य को समय से पूर्ण नहीं करने के कारण अनुबंध समाप्त करने की संस्तुति अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 508/अनु० 14/एस०ई० दिनांक 07.08.2014 द्वारा की गयी थी परन्तु दिनांक 28.08.2014 को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा मात्र अनुबन्ध समाप्त करने की चेतावनी जारी किया गया उसके बाद भी ठेकेदार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।ठेकेदार द्वारा फरवरी 2014 से अगस्त 2014 तक काम बन्द रखा गया था , अनुबन्ध के शर्त के अनुसार यदि ठेकेदार 28 दिनों तक काम बंद करता है तो शेष कार्यों के सापेक्ष राशि का 20% अर्थ दण्ड सहित अनुबन्ध निरस्त कर दिया जाना चाहिए । ठेकेदार द्वारा कार्य समय से पूर्ण नहीं करने के बाद भी प्रथम समय विस्तार 15.05.2015 तक बिना अर्थ दंड के तथा द्दितीय समय विस्तार 0.25 % अर्थ दंड सहित 30.04.2016 तक दिया गया था इसके बाद भी यथा स्थिति बनी हुई थी, निर्माण कार्य दिसम्बर 2016 तक अपूर्ण था । GCC के क्लाज 44.1 के अनुसार कार्य में विलम्ब के लिए अनुबंध लागत का 10% अधिकतम एल० डी० की वसूली की जानी चाहिए थी, परन्तु नियमानुसार एल डी कि कटौती नहीं की गयी।

प्रश्नगत कार्य की पत्रावली की जांच से सपष्ट था कि ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य को न तो समय से पूर्ण किया जा रहा था और जो कार्य किया भी किया गया था वो अधोमानक व त्रुटिपूर्ण था । कार्य प्रभारी सहायक अभियन्ता द्वारा कार्य को समय से व निर्धारित मानको के अनुरूप पूर्ण करने के लिए लगातार पत्राचार किया जा रहा था और इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को भी दी जा रही थी, इसके बाद भी उचाधिकारियों द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के विपरीत, निर्धारित मापदण्डो से इतर बिना अर्थ दण्ड के समय विस्तार देना और ठेकेदार द्वारा संपादित खराब कार्य के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाए जाने का कोई स्पष्ट आधार नहीं था । और उक्त कार्य अपने पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से दो वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी अपूर्ण था और ठेकेदार को उसके 15 चल लेखा बिल के सापेक्ष रूपये 418.37 लाख का भुगतान जुलाई 2016 तक किया जा चुका था ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के आभाव मे एवं पी०एम०जी० एस० वाई० के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किए जाने के परिणाम स्वरूप देविपुरा से सौड मोटर मार्ग के निर्माण पर रूपये 418.37 लाख व्यय के बाद भी मार्ग निर्माण के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति का अप्राप्त थी जो कि जनहित की हानि थी , तथा अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार LD की कटौती नहीं की गयी थी।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि कार्य विभिन्न तिथियों में बंद रहा 01-3-2014 से 15-10-2014 तथा 01-5-2014 से 15-5-2015 तक रहा । ठेकेदार द्वारा पुनः समय वृद्धि हेतु आवेदन किया गया था जो कि ततसमय विचारधीन था। उक्त अनुबन्ध को निरस्त किए जाने हेतु ठेकेदार को कोई नोटिस नहीं दिया गया

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उचाधिकारियों द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के विपरीत, निर्धारित मापदण्डो से इतर बिना अर्थ दण्ड के समय विस्तार देना और ठेकेदार द्वारा संपादित खराब कार्य के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाए जाने का कोई स्पष्ट आधार नहीं था। और उक्त कार्य अपने पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से दो वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी अपूर्ण था और ठेकेदार को अनुबन्ध निरस्त किए जाने हेतु कोई नोटिस नहीं दिया गया। उपरोक्त से स्पष्ट है कि विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के आभाव मे एवं पी०एम०जी० एस० वाई० के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किए जाने के परिणाम स्वरूप मोटर मार्ग के निर्माण पर रूपये 418.37 लाख व्यय के बाद भी मार्ग निर्माण के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त थी जो कि जनहित की हानि थी तथा अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार LD की कटौती नहीं करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग -II (ब)

प्रस्तर 1:- सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना रू॰ 1.94 लाख की धनराशि का आधिक्य भुगतान किया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, प्रधान मंत्रा ग्राम सडक योजना, ज्योलीकोट, नैनीताल की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि विभाग और ठेकेदार के बीच हुए अनुबन्ध के अनुसार schedule- 'B' में दर्शायी गयी मदों और ठेकेदार के द्वारा किए गए कार्यों की मदों के बीच अन्तर पाया गया, जिसके अनुसार ठेकेदार को कार्यों की मदों में हुई भिन्नता की धनराशि रू॰ **1,93,628.00** के कार्यों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कराये बिना भुगतान किया गया। जिसका विवरण निमन्वत है:-

Sr. No.	Name of Work	Rate (in Rs.)	Quantity of work (As per Schedule 'B')	Amount (As per Schedule 'B')	As per RA Bill	Difference of work	Actual Amount Paid (As per final Bill)	Difference of amount
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Construction of parapet in RR stone mansonary laid in 1:5 c/s mortar providing M10 grade concrete in foundation and M20 cement concrete	1050	154.00	161700.00	164.00	10.00	172200.00	10500.00
2	Providing concrete for plain/ reinforce concrete M10 in open foundation 1:3:6	4300	106.05	456015.00	128.23	22.18	551389.00	95374.00
3	Supply fitting and placing HYSD Ms bar reinforcement	0.91	59000	53690.00	1.56	0.65	92040.00	38350.00
4	Providing and laying of bounder apron lain in wire crates	1685	67.00	112895.00	83.40	16.40	140529.00	27674.00
5	Random rubble stone masonry coolie walling	920	783.00	720360.00	806.62	23.62	742090.40	21730.00
Total				**1504660.00**			**1698248.40**	**1,93,628.00**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा ठेकेदार को आधिक्य कार्य के लिए 1.94 लाख की धनराशि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना भुगतान कर दिया गया।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि कार्यस्थल पर premix carpet का कार्य प्रगति पर था दिनांक 31-5-2016 को अपेक्षा से काफी समय पूर्व भारी वर्षा होने के कारण कार्य बंद करना पड़ा। कार्य को समय पर पूर्ण करने हेतु ठेकेदार को समय-समय पर मौखिक तथा पत्रों द्वारा निर्देशित किया गया। मार्ग में सभी कार्यों की मदों पर व्यय किया जाना आवश्यक था कुछ मदों में कार्यस्थल की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार भिन्नता आयी है।

सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ठेकेदार को रू॰ 1.94 लाख की धनराशि का आधिक्य भुगतान कर अनुचित लाभ पहुंचाये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग -II (ब)

प्रस्तर 2:- ठेकेदारों से धनराशि रू॰ 53.83 लाख के अग्रिमों का समायोजन न किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रस्तर 292 के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रदान किये गए अग्रिम की वसूली/ समायोजन नियत समय पर कर लिया जाना चाहिए। अग्रिमों का समायोजन न दिये जाने की स्थिति में दंडात्मक ब्याज भी लगाए जाने का वित्तीय नियमों में प्रावधान है।

विभाग के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा नैनी वल्ली (Naini Valley) कन्स्ट्रक्शन को Secured Advance धनराशि रू.12,77,500/- माह 03/2015 में दिया गया जिसके सापेक्ष धनराशि रू. 9,19,941/- का समायोजन किये जाने पश्चात रू. 3,57,559/- असमायोजित हैं। जबकि उक्त धनराशि की पूर्ण वसूली Secured Advance दिये जाने के अगले चल लेखा बिल से कर ली जानी चाहिए थी, जिसे विभाग द्वारा नहीं किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त जांच मे यह भी पाया गया कि विभाग द्वारा अमृत डवेलर्स प्रा॰ लि॰ देहरादून को Mobilization Advance धनराशि रू. 58,30,531/- माह 03/2012 में दिया गया जिसके सापेक्ष धनराशि रू. 8,05,483/- का समायोजन किये जाने पश्चात रू. 50,25,048/- असमायोजित हैं, उक्त राशियों को यथा शीघ्र समायोजित किया जाना चाहिए था, लेकिन विभाग द्वारा उक्त धनराशियों का समायोजन लेखापरीक्षा अवधि (नवम्बर 2016) तक नहीं किया गया। जबकि अग्रिम दिये जाने के बाद से ठेकेदार को कुल धनराशि रू॰ 8257499/- का भुगतान किया गया था। इस प्रकार Secured Advance (रुपए 3.58 लाख) तथा Mobilization Advance (रुपए 50.25 लाख) कुल धनराशि रू. 53.83 लाख की धनराशि उक्त दो ठेकेदारों के पास सम्प्रेक्षा अवधि तक असमायोजित पड़ी है। विभाग द्वारा एक से दो वर्षों से अधिक का समय बीत जाने के पश्चात भी दिये गए उक्त अग्रिमों का समायोजन न किया जाने से यह स्पष्ट होता है कि विभागीय अनुश्रवण के अभाव में धनराशि का समायोजन न किया जाकर ठेकेदारों को अप्रत्यक्ष रूप से धनराशि रू॰ 53.83 लाख का लाभ पहुंचाया गया।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि यह अग्रिम अनुबन्ध कि शर्तों के अनुसार मोबिलाइजेशन व मशीनरी अग्रिम दिया गया। उक्त अग्रिमों का समय- समय पर समायोजन किया गया अवशेष अग्रिम वसूली हेतु बैंक को वसूली आदेश

निर्गत किए गए जिस पर मा॰ उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है जिस कारण वसूली बाधित है। पी०एम०जी० एस० वाई० के अन्तर्गत दिये गए अग्रिम पर ब्याज वसूली का कोई प्रावधान नहीं है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा उक्त धनराशि की पूर्ण वसूली Secured Advance दिये जाने के अगले चल लेखा बिल से कर ली जानी चाहिए थी तथा Mobilization Advance का समायोजन आगामी चल लेखा बिलों में से निरन्तर कर लिया जाना था, लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण उक्त धनराशि की वसूली दोनों ठेकेदारों से न करके एक ठेकेदार अमृत डवेलर्स प्रा॰ लि॰ देहरादून को मा॰ उच्च न्यायालय में जाने का मौका दिया गया। अतः ठेकेदारों को उक्त अग्रिमों का समायोजन न कर धनराशि रू॰ 53.83 लाख का अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग -II (ब)

प्रस्तर 3:- रू 40.64 लाख का अनावश्यक व्यय।

एम.डी.आर. 25 से लमजाला मोटर मार्ग स्टेज-1 के कार्य हेतु अनुबंध संख्या 02/एस.ई.-पी.एम.जी.एस.वाई.-ए.डी.बी. दिनांक 05/10/2010 मै. दिलावर सिंह ठेकेदार के नाम गठित किया गया था इसमें कार्य प्रारम्भ की तिथि 05/10/2010 तथा समाप्ति की तिथि 04/01/2012 थी। जिसकी प्राक्कलन की राशि रू 279.55 लाख के सापेक्ष रू 234.82 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

आगे जांच में पाया गया कि लमजाला मोटर मार्ग स्टेज-1 बनाने का कार्य 05/01/2010 में शुरु किया। ठेकेदार द्वारा रू 138.66 लाख की धनराशि व्यय करने के पश्चात कार्य बंद कर दिया गया रू 96.16 लाख की धनराशि का कार्य शेष रहा। कार्य बंद किए जाने के कारण कार्यालय द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 1596/4सी/पी.एम.जी.एस.वाई./13 दिनांक 25/11/2013 द्वारा अनुबंध के निरस्तीकरण का आदेश पारित किया गया। अनुबंध निरस्त करने के पश्चात ठेकेदार पर रू 19.23 लाख का अर्थदण्ड वसूला गया। इसके बाद शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए अनुबंध संख्या 06/एस.ई.-पी.एम.जी.एस.वाई./14 दिनांक 28/01/2015 मै. पर्वतीय कंस्ट्रक्शन के नाम गठित किया गया था इसमे कार्य प्रारम्भ की तिथि 28/01/2015 तथा समाप्ति की तिथि 27/01/2016 थी। जिसमे रू 156.03 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

जब ठेकेदार द्वारा कार्य बंद कर दिया गया तब ही उसका अनुबंध निरस्त कर देना चाहिए था। चूंकि कार्य समाप्त होने कि तिथि 04/01/2012 थी और अगला अनुबंध 3 वर्ष व्यतीत होने के बाद 28/01/2015 को किया गया। जिससे स्थानीय जनता इसके लाभ से वंचित रही। उक्त शेष कार्य का अनुबंध समय से कराया जाता तो कार्य समय से पूर्ण हो जाता। जिससे स्थानीय जनता को उससे लाभ मिलता और रू 40.64 लाख {156.03-(96.16+19.23)} की धनराशि का अतिरिक्त व्यय भी नहीं होता।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव मे, तथा शासनादेश में निहित शर्तों का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप लमजाला के निर्माण कार्य पर किया गया व्यय रू 138.66 लाख के बावजूद भी अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त थी। समय से निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण उससे होने वाले लाभ से स्थानीय जनता विगत तीन वर्षों से वंचित थी, जो कि जनहित की हानि थी।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि ठेकेदार M.S. दिलावर की 03/02/2013 को आकस्मिक मृत्यु हो गयी मृत्यु के पश्चात अनुबंध समाप्त करने की कार्यवाही की गयी। औपचारिकताओ को पूर्ण करने में आवश्यक समय लगा।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्य समाप्त की तिथि 04/01/2012 थी यदि ठेकेदार पर समय रहते कार्यवाही की जाती तो रू 40.64 लाख का अतिरिक्त व्यय नहीं होता। अतः 40.64 लाख के अनावश्यक व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तीन

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो प्रस्तर संख्या	भाग-दो प्रस्तर संख्या	STAN
30/2011-12	01	02	शून्य

(इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा दल द्वारा विगत निरीक्षण प्रितवेदनों के अनिसातारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या निम्न प्रारूप में दो प्रतियों में प्राप्त कर अपनी टीका सहित भाग-तीन के नीचे लगाकर निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ मूल रूप में संलग्न कर मुख्यालय को प्रेषित की जाय। मुख्यालय पर संबंधित क्षेत्र द्वारा अनुपालन आख्या विचारोपरान्त वर्गाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करते समय निस्तारित प्रस्तरों को भाग-दीन में से हटा दिया जाय। मात्र अनिस्तारित प्रस्तरों को भाग-तीन में रखा जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिसातारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
अप्रस्तुत				

भाग-चार

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(------)

भाग-पाँच

आभार

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, प्र.म.ग्रा.स.यो., ज्योलीकोट नैनीताल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गएः
3. शून्य
4. **सतत् अनियमितताएः**
5. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः-**

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1	इं. पी. सी. जोशी	अधिशासी अभियंता	22/09/2014 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, प्र.म.ग्रा.स.यो., ज्योलीकोट नैनीताल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप-महालेखाकार/उप-महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.